21/11/16

प्रेस विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि सचिव एवं राहत आयुक्त उत्तर प्रदेश शासन राजस्व अनुभाग–10, लखनऊ द्वारा वर्ष 2016–17 में ओलावृष्टि के पूरक यथा अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत हेतु रू0 15,00,000–00 (रू0 पन्द्रह लाख मात्र) के कम्बल उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम लि0, यूपिका, उ0प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वित्त पोषित एवं प्रमाणित संस्थाओं, श्री गॉधी आश्रम तथा उ0प्र0 हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम (पूर्ववर्ती उ0प्र0 निर्यात निगम) के माध्यम से लघु एवं कुटीर तथा हथकरघा इकाइयों द्वारा उत्पादित संस्थाओं से कम्बल कय किये जाने के निर्देश दिये गये है। कम्बलों के सम्बन्ध में निम्नांकित निर्देशों का पालन अनिवार्य है।

1– कय किये जाने वाले कम्बलों की पूर्व निर्धारित दर रू0 500 से अधिक न हो तथा मानक लम्बाई कम से कम 235 से0मी0, चौड़ाई कम से कम 140 से0मी0 तथा वजन कम से कम 2 किलो 200 ग्राम होना चाहिए। इन कम्बलों में कम से कम 70 प्रतिशत ऊन होना चाहिए तथा पुराने यार्न का प्रयोग नहीं होना चाहिए।

2– आपूर्तित संस्था को इस आशय का टैग लगाना होगा जिस पर सम्बन्धित संस्था का नाम कम्बल की लम्बाई, चौड़ाई तथा वजन का विवरण होगा। यह भी अंकित करना होगा कि कम्बल राजस्व विभाग के सौजन्य से निःशुल्क वितरित किया जा रहा है जो बिकी के लिये नहीं है।

अतः इच्छुक संस्थाओं से अपेक्षा की जाती है कि निविदा पत्र दिनांक 21.11.2016 तक कार्यालय मुख्य राजस्व लेखाकार कलेक्ट्रेट कन्नौज से निशुल्क प्राप्त किये जा सकते है एवं दिनांक 26.11.2016 को अपरान्ह 02 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में निविदाये प्राप्त की जायेगी, तदोपरान्त अपरान्ह 04 बजे अपर जिलाधिकारी (वि/रा) के समक्ष खोली जायेगी।

(डा0 अशोक चन्द्र)
जिलाधिकारी,
कन्नौज।